

प्रेषक,

निदेशक,

प्रशासन एवं विकास,

पशुपालन विभाग,

उ०प्र० लखनऊ।

सेवा में,

- 1-समस्त संयुक्त निदेशक, डी०एफ०एस० उ०प्र०।
- 2-संयुक्त निदेशक, सघन भेड़ एवं ऊन विकास प्रायोजना मिर्जापुर।
- 3-संयुक्त निदेशक, गृहद भेड़ प्रजनन प्रक्षेत्र, भैसोडा नौगढ़, चन्दौली।
- 4-समस्त अपर निदेशक ग्रेड-2, पशुपालन विभाग, उ०प्र०।
- 5-प्रधानाचार्य आदर्श प्रशिक्षण एवं उत्पादन केन्द्र, बी०कै०टी० लखनऊ।
- 5-उप निदेशक, (प्रक्षेत्र) महानगर लखनऊ।

संख्या 1638

/स्था०-3/विधि प्रकोष्ठ

दिनांक-

12-8-16

विषय-

मा० उच्चतम न्यायालय, मा० उच्च न्यायालय तथा अन्य न्यायालयों के आदेशों का समय

अनुपालन किये जाने विषयक।

महोदय,

कृपया मा० उच्चतम न्यायालय, मा० उच्च न्यायालय तथा अन्य न्यायालयों के आदेशों का समय अनुपालन किये जाने के लिये मुख्य सचिव, उ०प्र० शासन द्वारा समीक्षा करते हुये विभागों को निर्देशित किया है कि स्तरीय कार्यालयों में दीर्घ अवधि तक बिना किसी कार्यवाही के वाद उन पर पारित आदेश लब्धित रहते हैं जिसके फलस्वरूप शासन के वरिष्ठ अधिकारियों के विरुद्ध अवमानना की स्थिति उत्पन्न होती है। शासन के पत्र संख्या- 5293/पी०एस०, पी०/2016 दिनांक- 21 जुलाई 2016 द्वारा आदेशित किया है कि सभी अधिकारी अपने कैंम्प कार्यालय में मा० न्यायालय के आदेशों के सम्बन्ध में प्रकरणों की सूची तैयार कर लें और नये प्रकरण प्राप्त कर उन्हें सम्मिलित करते रहें। ऐसी व्यवस्था अपने यहां बना ले कि एक सप्ताह में दो बार अपने स्तर पर उनकी गहन समीक्षा अधीनस्थ अधिकारियों के साथ की जाये और किसी प्रकार से अवमानना की स्थिति उत्पन्न न हो। शासन द्वारा निर्देशित किया है कि मुख्य सचिव महोदय द्वारा दिये गये निर्देशों का अनुपालन न होने से शासन के लिये कोई अप्रिय स्थिति उत्पन्न होती है तो इसे सम्बन्धित अधिकारी के शासनादेशों की अवहेलना का प्रकरण मानते हुये यथोचित कठोर कार्यवाही की संस्तुति सक्षम स्तर पर प्रस्तुत की जायेगी। अतः वर्णित स्थिति में दिये गये आदेशों का अक्षरतः पालन सुनिश्चित किये जाने एवं किसी प्रकार की शिथिलता न बरतने हेतु इस कार्यालय के पत्र सं० 1953/स्था०-3/विधि प्रकोष्ठ दि० 4.9.2016 द्वारा निर्देशित किया गया है परन्तु प्रकरण पर की गयी कार्यवाही से अभी तक आपके द्वारा इस कार्यालय को अवगत नहीं कराया गया है। अतः प्रकरण की महत्वता के दृष्टिगत की गयी कार्यवाही से तत्काल इस कार्यालय को अवगत कराये।

भवदीय



(डा० राजेश बाबू वाष्णैय)

निदेशक,

प्रशासन एवं विकास।

संख्या /स्था०-3/विधि प्रकोष्ठ दिनांक-

प्रतिलिपि विशेष सचिव, पशुधन अनुभाग-1, उ०प्र० शासन को शासन के पत्र संख्या- 5293/पी०एस०, पी०/2016 दिनांक- 21 जुलाई 2016 के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।

(डा० राजेश बाबू वाष्णैय)

निदेशक,

प्रशासन एवं विकास।